नगर निगम, जयपुर ग्रेटर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम २००१ की धारा के अन्तर्गत)

अनुज्ञा पत्र

लाईसेंस/ आवेदन नं. TRADE/2021-22/9837

लाइसेंस अवधि 10 YEAR (Valid Upto:31-MAR-2032) जारी दिनांक 08-AUG-2022

श्री/श्रीमती (आवेदक) BIPUL KUMAR JHA

प्रतिष्ठान का नाम REBEL FOODS PRIVATE LIMITED

प्रतिष्ठान का पता S-38,39 JDA MARKET AMRAPALI CIRCLE VAISHALI NAGAR

JAIPUR, WARD NO 18, JAIPUR GREATER, JAIPUR, RAJASTHAN-

302021

व्यवसाय का विवरण RESTAURANT (A.C.) UPTO 50 CHAIRS

लाइसेंस हेतु शर्ते

- 1. लाइसेंस उपरोक्त वर्णित व्यवसाय एवं अवधि हेतु ही मान्य है। अवधि समाप्ति की तिथि से 30 दिवस की अवधि में लाइसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा लाइसेंस फीस के अलावा प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत राशि शास्ति वसूल की जावेगी।
- 2. होटल में उपलब्ध समस्त प्रकार के कमरों के किराये की सूची प्रदर्शित होनी चाहिए तथा रेस्टोरेंट में उपलब्ध खाने-पीने के समस्त खाद्य पदार्थों की विक्य दर प्रदर्शित होनी चाहिए।
- 3. होटल एवं रेस्टोरेंट में धुम्रपान हेतु पृथक से स्थान चिन्हित होना चाहिए तथा इसके अतिरिक्त समस्त क्षेत्र धुम्रपान निषिद्ध क्षेत्र होना चाहिए।
- 4. प्रतिबन्धित पॉलिथीन कैरी बैग्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा, पाये जाने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा।
- 5. प्रतिष्ठान में उत्पन्न होने वाले गीले एवं कचरे को पृथक पृथक ढ़क्कनदार कचरा पात्र में संग्रहित कर सही प्रकार से निस्तारण करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 6. प्रतिष्ठान में पीने व खाद्य पदार्थ निमार्ण हेतु साफ व शुद्ध पेयजल का उपयोग करना होगा। यदि संस्थान में स्वयं का पानी का स्त्रोत है तो अधिकतम छः माह में पानी की बायोलॉजिकल व केमिकल (जैविक व रासायनिक) जांच मान्यता प्राप्त संस्थान से करवाकर प्रमाण पत्र रखना होगा।
- 7. खाने पीने की चीजों को ढक कर, ठंडी व सूखी जगह पर रखना होगा।
- 8. होटल, बर्तन, फर्नीचर व जो आदमी काम करते हैं उनके कपड़ों की सफाई का खासतौर पर ध्यान रखना चाहिये एवं निर्माण स्थल पर एप्रिन, केप व दस्तानों आदि का उपयोग करना होगा।
- 9. प्रतिष्ठान में खाद्य पदार्थ बनाये जाने वाली सामग्री अविधपार नहीं होनी चाहिए व कच्चा मांस /चिकन/मछली आदि क्रय की गई सामग्री का कैश मेमो प्रतिष्ठान पर रखना होगा।
- 10. फूड़ हैंडलर (खाना बनाने व सर्व करने वाले) किसी भी प्रकार की छूत की बिमारी (जैसे टाइफाइड, पैराटाइफाइड, हैजा, स्वाइन फलु, चिकनपॉक्स, टी.बी.) से ग्रसित नहीं होना चाहिए एवं इनका प्रत्येक छः माह पर स्वास्थय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार भी जन हित में कर्मचारियों की अतिरिक्त शारीरिक जांच करवानी होगी।
- 11. प्रतिष्ठान में एक निरीक्षण पुस्तिका रखनी होगी व समय समय पर निरीक्षण के दौरान दिये जाने वाले निर्देशों की पालना तीन दिवस में करनी होगी।
- १ २. प्रतिष्ठान में मक्खी मच्छर व अन्य कीटों को भगाने हेतु समुचित व्यवस्था रखनी होगी।
- 13. प्रतिष्ठान में ग्राहकों एवं कर्मचारियों के लिए साफ व स्वच्छ शौचालयों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- 14. परिसर में आपदा प्रबंधन एवं अग्निशमन सम्बन्धी उपकरण एवं समुचित जानकारी सहज, सदृश उपलब्ध एवं अंकित होनी चाहिए।
- 15. लाइसेंस को प्रतिष्ठान स्थल एवं प्रतिष्ठान की वेबसाइट में ऐसी जगह प्रदर्शित किया जाये, जो सहज दृश्य हो।
- 16. प्रतिष्ठान में ग्राहकों हेतु एक शिकायत पुस्तिका संधारित करनी होगी अंकित शिकायत का समाधान कर शिकायतकर्ता को अवगत कराना होगा, शिकायत पुस्तिका का निरीक्षण सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 340 एवं इसके तहत बने उपनियम की समस्त शर्तों की पालना करेंगे, किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह अनुज्ञा पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।
- 17. यह अनुज्ञा पत्र रूफ टॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं है।

अनुज्ञापन अधिकारी नगर निगम, जयपुर ग्रेटर



Signature yalid

Digitally signed by Ras imi Kankaria Designation CHO

Date: 2022.08.08 17.52:08 IST Reason: Approve